



कार्यालय: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पलामू
(जिला योजना शाखा)

email : dpopalamau@gmail.com

Office:06562-230859

Very Short-Request for Proposal (RFP)

1. विज्ञापनदाता का पदनाम :- उपायुक्त, पलामू।
2. RFP जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक 10.12.2020 को 1:00 बजे अपराहन तक।
3. RFP जमा करने का स्थान एवं समय :- जिला योजना कार्यालय, पलामू कार्यालय अवधि में।
4. RFP खोलने का स्थान, तिथि एवं समय :- उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ, दिनांक 10.12.2020 को 1:30 बजे अपराहन

उपायुक्त कार्यालय (जिला योजना शाखा) द्वारा Special Central Assistance अन्तर्गत पलामू जिला अन्तर्गत 131 आंगनबाड़ी केंद्रों में Nutri Garden की स्थापना एवं पौधों का क्रय किया जाना है, जिसके लिए Request for Proposal की मांग की जाती है।

Nutri Garden स्थापना हेतु Specification निम्नवत है :-

S.No	Item	Rate per Unit	Rate per 2000 Saplings
1	Clearing of Land		Rate per Sq mtr
2	Leveling of Land		
3	Plastic Fensing of Nutri Garden		
4	Plantation of Nutritous trees -		
a	Guava (Arka amulya, Taiwan Guava)		
b	Papaya (Red Lady)		
c	Drum stick		
4	Plantation of Nutritours vegetables -		
a	Carrot(purple Haze)		
b	Radish (sunshine F1)		
c	Turnip (Tokyo cross)		
d	Beet root (F1 Hybrid)		
e	Spinach		
f	Fenugreek		
g	Gram (चना का साग)		
h	बथुआ का साग		

i	Cabbage		
j	Cauliflower		
k	Egg Plant (Brinjal)		
l	Capsicum		
m	Green Peas		
n	Bottle Gourd		
o	Bitter Gourd		
p	Snake Gourd		
q	Tomato		
r	Pumpkin		
s	Coriander		
t	Mint		
u	Lady finger		

पौधों के क्रय हेतु Specification निम्नवत है :-

S.No	Item	Variety Suitable for climatic condition of Palamu	Estimate no. of Sapling for 1.00 Acre cultivation	Rate of Saplings for 1.00 acre
1	Broccoli			
2	Baby corn			
3	Strawberry			
4	Bellpepper			

Term of RFP: -

क्र0	Nutri Garden की स्थापना हेतु Term of RFP निम्नवत है :-	पौधों के क्रय हेतु Term of RFP निम्नवत है :-
1	इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा उक्त के अलावे Nutri Garden की स्थापना हेतु अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता हो तो उसे RFP में शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।	1. इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा उक्त के अलावे पौधों के क्रय हेतु अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता हो तो उसे RFP में शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।
2	इच्छुक फर्म/संस्थान को 5000.00 (पांच हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट (Non Refundable) जो District Planning Officer, Palamu के पदनाम से डालटनगंज में भुगतये हो, समर्पित करना होगा	इच्छुक फर्म/संस्थान को 10000.00 (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट (Non Refundable) जो District Planning Officer, Palamu के पदनाम से डालटनगंज में भुगतये हो, समर्पित करना होगा
3	इच्छुक फर्म/संस्थान के पास GST का निबंधन झारखण्ड में अवश्य होना चाहिए।	इच्छुक फर्म/संस्थान के पास GST का निबंधन झारखण्ड में अवश्य होना चाहिए।
4	इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा Updated GST Return जमा करना होगा।	इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा Updated GST Return जमा करना होगा।
5	इच्छुक फर्म/संस्थान को उक्त कार्य का अनुभव	इच्छुक फर्म/संस्थान को उक्त कार्य का

	अवश्य होना चाहिए। साथ ही, RFP में अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।	अनुभव अवश्य होना चाहिए। साथ ही, RFP में अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
6	सफल फर्म/संस्थान को उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन (Supply and Installation) आदेशित स्थल पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई व्यय देय नहीं होगा।	सफल फर्म/संस्थान को उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन (Supply and Installation) आदेशित स्थल पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई व्यय देय नहीं होगा।
7	इच्छुक फर्म/संस्थान को अपने प्रस्ताव में सभी प्रकार के करों (GST) आदि को सम्मिलित करते हुए दर उद्धृत करना होगा।	इच्छुक फर्म/संस्थान को अपने प्रस्ताव में सभी प्रकार के करों (GST) आदि को सम्मिलित करते हुए दर उद्धृत करना होगा।
8	सफल फर्म/संस्थान द्वारा Nutri Garden की स्थापना आदेश की तिथि से 90 दिन के अंदर करना होगा।	सफल फर्म/संस्थान द्वारा पौधों की आपूर्ति आदेश की तिथि से 07 दिन के अंदर करना होगा।
9	इच्छुक फर्म/संस्थान को एक वर्ष तक Nutri Garden के सीड एवं सैंपलीन की आपूर्ति की जायेगी, रख-रखाव एवं किसी तरह की खराबी आने पर अपने खर्च पर स्वयं बदलना होगा, इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।	इच्छुक फर्म/संस्थान को पौधों की आपूर्ति में मृत पौधों को स्वयं बदलना होगा, इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।
10	सभी पौधे निर्धारित नस्ल का ही आपूर्ति करना होगा।	सभी पौधों की नस्ल पलामू जिला के जलवायु के अनुकूल आपूर्ति करना होगा।
11	इच्छुक फर्म/संस्थान को पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं बैलेंस शीट निविदा के साथ जमा करना होगा।	इच्छुक फर्म/संस्थान को पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं बैलेंस शीट निविदा के साथ जमा करना होगा—पिछले 3 वर्ष का Positive Net Worth
12	इच्छुक फर्म/संस्थान को Technical Proposal एवं Financial Proposal अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में डालना अनिवार्य होगा। इच्छुक फर्म को निर्धारित तिथि को Presentation प्रदर्शित करना होगा।	इच्छुक फर्म/संस्थान को Technical Proposal एवं Financial Proposal अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में डालना अनिवार्य होगा। इच्छुक फर्म को निर्धारित तिथि को Presentation प्रदर्शित करना होगा।

नोट :-

- (क) सम्बंधित फर्म/संस्थान द्वारा सम्बंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका/सहायिका को Nutri Garden हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (ख) सम्बंधित फर्म/संस्थान द्वारा पौधा आपूर्ति के पश्चात चयनित किसानों को फसल की खेती एवं इसका रख-रखाव एवं Forward Market Linkage भी सुनिश्चित करना होगा।
 - (ग) स्टार्टअप इंडिया एवं MSME के अनुरूप भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा छूट दी जायेगा।
13. Evaluation Criteria के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव में निम्न अनुसार Weightage दिया जायेगा :-

Evaluation Criteria	Weightage
Technical Proposal	50%
Presentation	20%
Financial Proposal	30%

14. Technical Proposal and Presentation संतोषजनक पाये जाने पर ही Financial Proposal खोला जायेगा।
15. RFP को स्वीकृत-अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त, पलामू को सुरक्षित होगा, जिनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।


उपायुक्त, पलामू।